प्रेषक

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवा, हरियाणा,
बेज न0–11–14, सैक्टर–4, पंचकुला।

सेवा में

1. सभी आयुक्त, नगर निगम, हरियाणा राज्य।
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
3. कार्यकारी अधिकारी/सचिव, सभी नगर परिषदें/नगर पालिकाएं।

यादि कमांक नि0अ0से0/एफ.ए.–2015/ 60532–34
दिनांकः 23/X/15

विषयः **दीपावली के शुभ अवसर पर आतिशबाजी, पटाखों की बिकी के समय बरती जाने वाली सावधानियां।**

....

1. उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखित है कि दीपावली के शुभ अवसर पर जनता द्वारा अधिक मात्रा में आतिशबाजी एवं पटाखों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आग लगने का भय लगा रहता है। आग से बचने के लिए सावधानियां बरती जानी अति आवश्यक हैं। अतः दीपावली के अवसर पर सभी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए निम्न प्रकार से हिदायतें दी जाती हैं:–

1) सभी पालिकाएं अपने–अपने दमकल केन्द्र अधिकारियों/इन्चार्ज को आवश्यक निर्देश दें कि वह अपनी दमकल गाड़ियों को पूर्ण रूप से ठीक रखें।

2) दीपावली के उपलक्ष को ध्यान में रखते हुए सभी दमकल अधिकारियों/कर्मचारियों का अवकाश रद्द कर दिया जाए अर्थात उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जायें।

3) चारों मण्डलों के वरिष्ठ दमकल केन्द्र अधिकारियों को दमकल गाड़ियों की पूर्ण रूप से निरीक्षण करने के लिए नगर परिषद की गाड़ी का प्रयोग करने व लॉग बुक भरने की स्वीकृति दी जाए। सभी अग्निशमन वाहनों का बीमा होना चाहिये तथा तेल की उपलब्धता व कण्डम गाडियों का निपटान भी सुनिश्चित किया जाये।

4)आतिशबाजी व पटाखों की दुकानें शहर के बाहर व खुले में लगवाई जायें, एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 3 मीटर की होनी चाहिए तथा प्रत्येक दुकान के सामने दो बाल्टी रेत व उचित मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहियें।

5) अग्निकाण्ड की घटनाओं से बचने के लिये अपने अधीन दमकल केन्द्र अधिकारियों को निर्देश दिये जाये कि वे अग्निशमन सुरक्षा के उपायों का पूर्ण रूप से निरीक्षण करें। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिये उचित प्रबन्ध करवाएं तथा समय–समय पर इसका निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाये, यदि किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिये पुलिस के सहयोग की आवश्यकता हो तो तालमेल सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त के अतिरक्त 'Explosives Rules, 2008' के नियम– 84 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें, जिसमें निम्न व्यवस्था है:–

84. Temporary shops for possession and sale of
Fireworks during festivals.-During, festivals, the District Magistrate may issue temporary licences for possession and sale of fireworks in a temporary shop subject to the following conditions namely:-

(1) The fireworks shall be kept in a shed made of non-flammable material, which is closed and secured so as to prevent unauthorized persons having access thereto.
(2) The sheds for possession and sale of fireworks shall be at a distance of at least three meters from each other and fifty meters from any protected work.
(3) The sheds shall not face each other.

PTO

(4) No oil burning lamps, gas lamps or naked lights shall be used in the shed or within the safety distance of the sheds. Electrical lights, if used, shall be fixed to the wall or ceiling and shall not be suspended by flexible wire. Switches for each shop shall be fixed rigidly to the wall and amaster switch shall be provided for each row of sheds.

(5) Display of fireworks shall not be allowed within fifty metres of any shed.

(6) In one cluster not more than fifty shops shall be permitted.

Terminology used in this rule namely "protected work" is defined in the rules as under:

(43) "protected works" includes buildings or structures in which persons dwell, work or assemble, college, school, hospital, theatre, cinema house, shop, market, factory, place of worships, place of storage of hazardous substances, highway or public road, railway line, navigable waterways, cross country above ground pipelines, dams or reservoirs, overhead high tension power lines, but does not include cart tracks not in regular use, agricultural wells and pump sets connected therewith;

3. उपरोक्त हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के लिये निम्न अनुसार दमकल केन्द्र अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती हैः–

कम सं0	मण्डल का नाम	कार्यरत दमकल केन्द्र अधिकारी का नाम	जिन जिलों के दमकल केन्द्रों पर निरीक्षण किया जाना है।
1	अम्बाला	श्री गुलशन कालड़ा, यमुनानगर–जगाधरी श्री अशोक कुमार, अम्बाला सदर	अम्बाला,यमुनानगर तथा पंचकूला कैथल तथा कुरूक्षेत्र,
2.	गुड़गांव	श्री महेन्द्र सिंह भारद्वाज, फरीदाबाद श्री ईश्म सिंह कश्यप, गुड़गांव श्री रामदत्त भारद्वाज, पलवल	फरीदाबाद तथा रेवाड़ी गुड़गांव, तथा नारनौल पलवल तथा मेवात
3.	हिसार	श्री देवेन्द्र नन्दा, जीन्द श्री सज्जन सिंह, हिसार	भिवानी, फतेहाबाद तथा जीन्द हिसार तथा सिरसा
4	रोहतक	श्री रमेश सिहाग, रोहतक श्री हरी सिंह सैणी, सोनीपत	रोहतक तथा झज्जर सोनीपत, पानीपत तथा करनाल

उप–निदेशक (अग्निशमन)
कृतेः निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय एवं
अग्निशमन सेवा, हरियाणा, पंचकुला।

पृ0 कमांक नि0अ0से0, एफ.ए.–2015/ दिनांक

एक प्रति उपरोक्त सभी सम्बन्धित दमकल केन्द्र अधिकारियों को भेजकर निदेर्शित किया जाता है कि उक्त हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाये।

Sd/-
उप–निदेशक (अग्निशमन)
कृतेः निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय एवं
अग्निशमन सेवा, हरियाणा, पंचकुला।

C.C
नोडल ऑफिसर, वैब पोर्टल।